



नेपाल :- एकी प्रदेश


# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी

## जिला-दुर्ग (छ.ग.)

भिर्जोर पब्लिक स्कुल, मर्स्या निवास

### विद्यालय मायता प्रमाण-पत्र

दिनांक - 05/10/2021 से 04/10/2024



फोन नं. 0788-2322345

फ़ॉर्म - दो

फैक्स नं. 0788-2211242

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक / 1139 / मायता / 2021

प्रति, प्रबन्धक, प्राथमिक शिक्षा समिति  
मर्स्या चैम्बर भवन

दुर्ग, दिनांक 23/10/2021

विषय: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रायोजन के लिए, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मायता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,


आपके आवेदन पत्र की तारीख 17/06/2021 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/सिरीक्षण के उपरोक्त में मर्स्या चैम्बर भवन, मर्स्या निवास (विद्यालय का नाम पता सहित) को तारीख 05/10/2021 से 04/10/2024 तक तीन बच्चों की अवधि के लिए कक्षा-द्वितीय से प्रथम तक माध्यम अनुपालन के लिए अर्थात् मायता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों के पुर किये जाने के अध्याधीन है:-

- मायता की स्वीकृत वित्तीयता नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मायता/संबन्धन करने के लिए कोई बाधता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधम 2009 (परिशिष्ट-दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय, कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25% प्रतिशत तक अस-पढ़ने के कमजोर बच्चों और सुविधा विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन बच्चों का अनुपालन किया जायेगा।
- बैरा 83 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालयों को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पुश्तक बैंक खोलना रहेगा।
- सोसायटी/विद्यालय किसी केपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता/पिता या संरक्षक को किसी छवििंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का समूह व होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:
  - प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में नहीं रखा जाएगा या उसे विद्यालय से निकालित नहीं किया जायेगा।
  - किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - तीन बार प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को विधम 25 के अधीन अधिकतम किए गए अनुसार एक मायता प्रदान किया जायेगा।
  - पांच अधिनियम के उपबन्धों 'ब' के अनुसार नि:शुल्क/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

President  
Pranashree Shiksha  
Public School  
Bhilai (CG) 490006

- अध्यापकों की शर्तों अधिनियम की धारा 25(1) के अधीन यथा अधिकतम न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परंतु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।
  - अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और
  - अध्यापक स्वयं को किसी तिजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
  - विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
  - विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मातकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समन्वय रिपोर्ट की गई प्रसूचिधार् विमानुसार है:-
- |   |                    |
|---|--------------------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल   | 7.2000... 59 feet  |
| कुल निर्मित का क्षेत्रफल  | 18.472... 59 feet  |
| खेल के मैदान का क्षेत्रफल   | 25.000... 59 feet  |
| कक्षाओं की संख्या   | 20 कक्षाएं, 01 हॉल |
| प्रधानपाठक सह-कार्यालय सह-मण्डल के लिए कक्षा                                | 02                 |
| बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय                                       | 06 + 06            |
| पेयजल सुविधा  | होता               |
| मध्यम भोजन पकाने हेतु रसोई  | होता               |
| बाधारहित पहुँच  | होता               |
| अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूल के उपस्कारों / पुस्तकालय की उपलब्धता : |                    |
- विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मायता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।
  - विद्यालय बच्चों या अन्य संरक्षकों या स्वतंत्रों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
  - विद्यालय की सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी सोसायटी द्वारा चलाया जा रहा है।
  - विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
  - विद्यालयों के लेखाओं की किसी बार्ड ऑफ एकाउन्टेड द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
  - आपके विद्यालय को आर्बिट्रिट मायता कोष्ठ संख्यांक 105/210/01..... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
  - विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा विवेक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर आर्पक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निवेदों का पालन करेगा जो मायता संबंधी शर्तों के सन्तु अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाएं।
  - सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाए।
  - संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।

जिला शिक्षा अधिकारी  
दुर्ग



## चलो चलाएँ

### शिक्षा गुणवत्ता अभियान

### और बढ़ाएँ

### हम अपना सम्मान

